



फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर  
 जगदीश चव्वाण जगदीश

केस संख्या: 64/25

केस संख्या	दिनांक आजा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से	विराप विवरण
12 <sup>09</sup> / <sub>2025</sub>		पंजावली प्रभुत/वकील प्रार्थी उपस्थित। आजा फेरी पर आपश्पकवण से बंद कर। पंजावली डिग्रेड 18/9/2025 को फेरी को <div style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      आमेर मु० जयपुर                 </div>	
18 <sup>09</sup> / <sub>2025</sub>		पंजावली प्रभुत/वकील प्रार्थी की बहम पूरी गई। प्रभुत तर्क, फतावेको के आधार पर भारवा प्रपूरीय शीत एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्रभुत स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय प्रत्येक से लिखवापा गया। पंजावली फेरी सुकल देकर दाखिरा पत्र को <div style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर                      आमेर मु० जयपुर                 </div>	



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 64/2025

- 1 जगदीश पुत्र रामकुमार, उम्र 50 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
- 2 सोहन लाल पुत्र रामकुमार, उम्र 70 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र रामसहाय वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 2 औची पत्नी राधेश्याम, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
3. कमली पत्नि हरिनारायण, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 4 कल्याण सहाय पुत्र भूरा, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 5 घीसी पत्नि स्व० गंगू उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 6 सरदारमल पुत्र स्व० गंगू उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 7 मोहनी पत्नि रामकुमार पुत्री स्व० गंगु, उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम खेरी लोहरवाडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
- 8 नन्ही पत्नि सुरेश पुत्री स्व० गंगु, उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
- 9 विमला पत्नि सीताराम पुत्री स्व० गंगु, उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम खेरी लोहरवाडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
- 10 ममता पत्नी राजेन्द्र पुत्री स्व. गंगू उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी गांव पुनाणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
- 11 मंगली देवी पत्नि स्व० जगदीश, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 12 प्रहलाद पुत्र स्व० जगदीश, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 13 रुडमल पुत्र स्व० जगदीश, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 14 राकेश पुत्र स्व० जगदीश, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 15 जैना पुत्र सोना, उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 16 प्रभात पुत्र रामसहाय, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर  
आमेर म. जयपुर



- 17 प्रभाती पत्नि नारायण उर्फ श्रीनारायण, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 18 प्रभाती पत्नि सुवालाल, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 19 बाबूलाल पुत्र नारायण उर्फ श्रीनारायण, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 20 भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मण, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 21 मोहरी देवी पत्नि सुण्डाराम उम्र वयस्क, जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 22 राधेश्याम पुत्र रामसहाय, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
23. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी गांव कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 24 सुणाराम उर्फ सोहन लाल पुत्र नारायण उर्फ श्रीनारायण, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 25 सुन्दर पुत्र सोना उम्र वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 26 सुवालाल पुत्र रामसहाय, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 27 सीताराम पुत्र नारायण उर्फ श्रीनारायण, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 28 हरिनारायण पुत्र रामसहाय, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
29. गजानन्द पुत्र किशन, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 30 सीताराम पुत्र स्व० घीसा, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 31 रामपाल पुत्र स्व० घीसा, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
32. रमा देवी पुत्री स्व. चौथमल, पत्नी लालचंद, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी गांव कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 33 गोमा देवी पुत्री स्व० चौथमल, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 34 सुनिल पुत्र आँची देवी पुत्री स्व० चौथमल, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
- 35 सुभाष पुत्र आँची देवी पुत्री स्व० चौथमल, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
- 36 नरेन्द्र पुत्र किशन, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी गांव कल्याणपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
- 37 पोखर पुत्र बीजा, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 38 बनवारी लाल पुत्र काना, उम्र वयस्क, जाति वागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।

36  
सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर



प्रकरण संख्या - 64/2025  
वउनवानी - जगदीश वनाम जगदीश वगौ  
निर्णय दिनांक :- 18.09.2025

- 39 भागीरथ पुत्र किशन, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 40 मंगला पुत्र भुरा, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 41 रामनारायण पुत्र किशन, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 42 रामनिवास पुत्र भूरा, उम्र वयस्क, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर।
- 43 श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, दी सेन्ट्रल बोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
- 44 श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
- 45 श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
- 46 श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इडिया शाखा संजयबाडी, चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
- 47 श्रीमान् उप रजिस्ट्रार, उप पंजीयन कार्यालय, जालसू, जिला जयपुर।
- 48 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, जालसु, तहसील जालसु, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण.

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

(1) श्री रामकिशोर डागर - अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 18.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण/वादीगण ग्राम कल्याणपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमियों हाल खाता संख्या 37 खसरा नंबर 101 रकबा 1.42 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर में निहित प्रार्थीगण/वादीगण का हिस्सा 10/48 भाग निहित है व खाता संख्या 23 खसरा नंबर 118 रकबा 3.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 119 रकबा 2.94 हैक्टेयर, खसरा नंबर 120 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 121 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 122 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 123 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 रकबा 2.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 रकबा 52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 129 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 130 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 132 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 133 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 134 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 267 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नंबर 268 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 269 रकबा 2.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 270 रकबा 2.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 291 रकबा




1.30 हैक्टैयर, कुल किता 22 का कुल रकबा 23:68 हैक्टैयर मे प्रार्थीगण / वादीगण का 2/16 भाग निहित है जिसका प्रार्थीगण / वादीगण रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज मालिक/स्वामी है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्यां 1 ता 42 का राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है। तथा दिनांक 18-4-2025 को पुनः कुछ अजनबी व्यक्तियों को विवादित आराजियात के मौके पर लाया जाकर दिखावा गया तो प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा पूछताछ करने के विरोध में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 42 द्वारा एलानिया तौर पर प्रार्थीगण/वादीगण को धमकी दी गई कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग अथवा हिस्से की भूमि को बिना विधिवत तकासमा के ही विकय तथा मौके पर कॉलोनी काट कर छोटे छोटे भू खण्डो मे बेचान करेगें। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि०ए०डी० नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 10, 43, 44, 45, 36, 4, 20, 23, 42 एवं 1 लगायत 3, 5 ता 9, 11 ता 19, 21, 22, 24 ता 41, 46 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध दिनांक 28.08.2025 एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2025 को पेश हुआ है, प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे जिससे यह साबित हो कि वर्तमान में प्रार्थी को गंभीर क्षति हो रही हो परन्तु यहा यह उल्लेखनिय है कि प्रार्थी ने इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये की आराजी को खुर्द बुर्द किया जा रहा हो फलस्वरूप प्रार्थी ने प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर